हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग।

संख्याः टी.पी.टी.–एफ(6)–2/2019 तारीखः शिमला–2, 01–08–2023

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2023 के प्रारूप को मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 (2) और 211 के साथ पठित धारा 212 के उपबन्धों के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार, एतद्द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) से आक्षेप (पों) या सुझाव (वों) आमन्त्रित करने के लिए इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 29/05/2023 द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 05 जून, 2023 को प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 96 (2) और 211 के साथ पठित धारा 212 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5–24/88–टी.पी.टी–III, तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1.	(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2023 है। (2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
नियम 40 क का प्रतिस्थापन।	2.	हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 40 क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"40 क. अभिकरण की प्राधिकारिता के लिए प्रतिभूति और फीस और प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण–पत्र जारी करना.–(1) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 (7) के अधीन प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण–पत्र जारी करने की

प्राधिकार्यता हेतु निम्नलिखित प्रतिभूति और फीस ऐसी प्राधिकारिता के लिए आवेदन करने वाले अभिकरण द्वारा संदेय होगी, अर्थात्:–

निदेशक, परिवहन के पास जमा की जाने वाली प्रतिदेय प्रतिभूति	शहरी क्षेत्रों में अवस्थित केन्द्रों के लिए रूपए 15000/– और ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित केन्द्रों के लिए 5000/–रूपए :

परन्तु पहले से प्राधिकृत अभिकरण, प्राधिकारिता के नवीकरण के समय प्रतिदेय प्रतिभूमि जमा करेंगें :

परन्तु यह और कि नियन्त्रणधीन प्रदूषण प्राधिकारिता हेतु आवेदन करने वाले अभिकरण/आवेदक से 500/– रूपए का अप्रतिदेय आवेदन फीस प्रभार्य होगी।

(क) प्राधिकारिता के लिए फीस	
(i) पेट्रोल – चालित मोटर यानों के लिए	4000/–रूपए
(ii) डीजल – चालित मोटर यानों के लिए	4000/–रूपए
(iii) पेट्रोल और डीजल–दोनों से चालित मोटर यानों के लिए	8000/–रूपए
(ख) प्राधिकरण के लिए नवीकरण फीस	
(i) पेट्रोल – चालित मोटर यानों के लिए	4000/–रूपए
(ii) डीजल – चालित मोटर यानों के लिए	4000/–रूपए
(iii) पेट्रोल और डीजल दोनों से चालित मोटर यानों के लिए	8000/–रूपए

(2) प्राधिकृत अभिकरण प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित फीस प्रभारित करेगा:–

पेट्रोल/सी0एन0जी/एल0पी0जी0 चालित 2 और तीन पहिए वाले यानों के लिए	रूपए 80 (+20 हरित कर) कुल = ₹ 100/– तिपहिया = ₹ 100 (+20 हरित कर) कुल = ₹ 120/–

पेट्रोल / सी0एन0जी / एल0पी0जी0 चालित चार पहिया यानों के लिए	रूपए 100 (+30 हरित कर) कुल = ₹ 130 / —
डीजल चलित यानों के लिए	रूपए 110 / — (+40 हरित कर) कुल = ₹ 150 / —

परन्तु प्राधिकृत अभिकरण अल्प—समायोजन के लिए अधिकतम रू 10 / — प्रति यान प्रभारित कर सकेगा। "

आदेश द्वारा,

(आर0डी0नजीम)
प्रधान सचिव (परिवहन),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English Text of this department Notification No. TPT-F(6)-2/2019 dated 01-08-2023 as required under article 348 (3) of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport

No. TPT-F(6)-2/2019 Dated: Shimla-02, the 01-08-2023

NOTIFICATION

Whereas, the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (amendment) Rules, 2023 were notified vide this department notification of even number dated 29/05/2023 and published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 05th June, 2023 for inviting objection(s) or suggestion(s) from the person(s) likely to be affected thereby, as required under the provisions of section 212 read with section 96 (2) and 211 of the Motor Vehicles Act,1988 (59 of 1988);

And whereas, no objection(s) or suggestion(s) have been received within the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 212 read with sections 96 (2) and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, notified vide this department notification No 5-24/88-Tpt-III, dated 12th July 1999 and published in Rajpatra (Extra-ordinary), Himachal Pradesh dated 27th July, 1999, namely:-

Short title and Commencement.	1.	(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (amendment) Rules, 2023
		(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
Substitution of rule 40A.	2.	For rule 40 A of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Rules, 1999, the following shall be substituted, namely:-

"40A. Security and Fee for Authorization of Agency and issue of pollution under control certificate.- (1) The following Security and fee for authorization of issuing a pollution under control certificate under rule 115 (7) of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 shall be payable by the agency applying for such authorization, namely:-

Security refundable to be deposited with the Director of Transport	Rs. 15000/-for centres located in urban areas and Rs. 5000/- for centers located in rural areas:

Provided that the agencies already authorized shall deposit refundable security at the time of renewal of authorization:

Provided further that a non-refundable application fee of Rs. 500/- shall be charged from the agency/applicant applying for Pollution Under Control Authorization:

(a) fee for authorization:	
(i) for petrol driven motor vehicles	Rs. 4000/-
(ii) for diesel driven motor vehicles	Rs. 4000/-
(iii) for both petrol and diesel driven motor vehicles	Rs.8000/-
(b) **renewal** fee for authorization:	
(i) for petrol driven motor vehicles	Rs. 4000/-
(ii) for diesel driven motor vehicles	Rs.4000/-
(iii) for both petrol and diesel driven motor vehicles	Rs.8000/-

(2) The authorized agency shall charge the following fee for issue of a Pollution Under Control Certificate:-

For Petrol/CNG/LPG driven 2 and 3 wheeled vehicles	Rs. 80 (+20 green Tax) Total =Rs.100/- Three wheeler Rs. 100 (+Rs. 20 green tax) Total= Rs. 120/-
For petrol/CNG/LPG driven 4 wheeled vehicles	Rs.100 (+Rs. 30 Green tax) Total=Rs. 130/-
For diesel driven vehicles	Rs.110 (+Rs. 40 Green tax) Total=Rs. 150/-

Provided that the authorized agency may charge a maximum of Rs. 10/- per vehicle for minor adjustment."

By Order

(R.D. Nazeem)
Principal Secretary (Transport) to the,
Government of Himachal Pradesh.